संख्या-4/2016/क0नि0-4-162/11-2016-300(13)/2011

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 08 मार्च ,2016

विषयः- जनपद अमरोहा (जे0पी0नगर) में वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-जे0पी0न0(अमरोहा)-125/2015-16/744/ वाणिज्य कर, दिनांक 10.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अमरोहा (जे0पी0नगर) में निर्माणाधीन वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय भवन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 69.17 लाख (रूपये उन्हत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ ,मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(5) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(7) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -89 के लेखा शीर्षक- ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर- 01-कार्यालय भवन -051- निर्माण -13-क्षेत्रीय कार्यालय-1305- जनपद अमरोहा में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव

संख्या-4/2016/क0नि0-4-162(1)/11-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, अमरोहा (जे0पी0नगर)।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।